प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सैंतालीस'

[28/11/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 399]

प्रपत्र–'अ'

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/11/2017

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 399) माननीय विधायक डॉ. गोविन्द सिंह

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेशो में **मीटरीकरण के संबंध में दिये गये निर्देश** निम्नानुसार है :–

1) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2012–13** :– विद्युत वितरण कम्पनियों को अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों के मीटरीकरण के संबंध में आदेश जारी होने के एक माह के भीतर माहवार योजना/लक्ष्य दाखिल किये जाने संबंधी कठोर निर्देश दिये जाते हैं ताकि माह मार्च 2013 तक शत प्रतिशत मीटरीकरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

2) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2013–14** :– आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को मार्च, 2014 के अन्त तक शत प्रतिशत मीटरीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करता है।

3) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2014–15** :– दिनांक 23.04.2014 को संपन्न बैठक में फीडर मीटरीकरण, कृषि डीटीआर मीटरीकरण तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण के संबंध में हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने वितरण कंपनियों को एक माह के अंदर वस्तुस्थिति प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया तथा यह निर्देश दिये कि तद्नुसार उक्त विषय की समीक्षा की जायेगी।

4) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2015–16** :– आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को संभरक मीटरीकरण (feeder meterization) तथा वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) मीटरीकरण के कार्य में प्राथमिकता के आधार पर गति लाये जाने के निर्देश दिये गये। आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत योजना 31 मई, 2015 तक दाखिल कर दी जाये। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा यह चाहा गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ग्रामीण घरेलू संयोजनों का शत प्रतिशत मीटरीकरण 31 मार्च, 2015 तक सम्पन्न किये जानी की वचनबद्धता के परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन 31 मई, 2015 तक दाखिल कर दिया जाए एवं तदनुसार, आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा माह जून 2015 में की जाएगी।

5) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2016–17** :– आयोग ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने संभरक मीटरीकरण तथा ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के शत प्रतिशत मीटरीकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी निश्चित समय–सीमा प्रस्तुत की है। आयोग आशा करता है कि विद्युत वितरण कंपनियाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बिना किसी (Slippage) के निर्धारित

समय सीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन करेगी। तथापि, आयोग को इस बात को संज्ञान में लेकर खेद है कि पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनियो द्वारा समुचित वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कृषि बहुल वितरण ट्रासंफार्मरों के शत प्रतिशत मीटरीकरण हेतु निश्चित समयसीमा प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि, आयोग बारम्बार विद्युत वितरण कम्पनियों को कृषि बहुल वितरण ट्रासंफार्मरों के मीटरीकरण की गति में वृद्धि लाये जाने हेतु निरन्तर निर्देश देता चला आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कृषि से संबंधित विद्युत प्रदाय का अमीटरीकृत रहना अभी भी जारी है। ऐसे में हानि में कमी होने की शुद्ध रूप से गणना किया जाना कठिन हो गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य मीटरीकृत विद्युत प्रदाय हेतु कटिबद्ध हैं। ऐसे में इस प्रावधान को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं रखा जा सकता है। आयोग पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विवि. कम्पनियों को कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के बारे में शत प्रतिशत मीटरीकरण लक्ष्य माह मार्च, 2017 तक बिना किसी चूक के पूर्ण करने के निर्देश देता है।

6) **टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2017–18** :– आयोग ने वितरण कंपनियों के द्वारा दी गयी जानकारी को नोट किया है। पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनियों ने कृषि डीटीआर के शत प्रतिशत मीटरीकरण की समय सीमा अभी तक नहीं बतायी है। आयोग उन्हें pre-dominant कृषि डीटीआर के शत प्रतिशत मीटरीकरण की समय सीमा 3 माह के भीतर बताने हेतु निर्देशित करता है। आयोग सभी वितरण कंपनियों को मीटरीकरण की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित करता है।

––––––

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/11/2017

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक रू 399)

डॉ. गोविन्द सिंह

प्रपत्र "ब"

मध्य क्षेत्र कंपनी, भोपाल के अंतर्गत दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2017 तक विभिन्न फर्मों से क्रय किये गये, लगाये गये एवं त्रुटिपूर्ण लौटाये गये मीटरों का विवरण

क्र.	फर्म का नाम (मेसर्स)	क्रय किये गये मीटरों की संख्या	लगाये गये मीटरों की संख्या	त्रुटिपूर्ण होने पर लौटाये गये मीटरों की संख्या	मीटर नहीं लगाये गये
1	2	3	4	5	6
1	सीक्योर मीटर लि., उदयपुर	5890	90	0	5800
2	जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर	108346	86944	3579	21402
3	एवन मीटर प्राइवेट लिमिटेड, डैरा बस्सी, चण्डीगढ़	18800	17800	4023	1000
4	लिंक बेल टेली सिस्टम प्रा.लि., हैदराबाद	22806	18106	2529	4700
5	लार्सन एण्ड टर्बो लि., नागपुर	68997	66000	1448	2997
6	एच.पी.एल. इलैक्ट्रिक एण्ड पॉवर लि., नई दिल्ली	124912	10225	2604	114687
	योग	349751	199165	14183	150586

(संजय मिहलानी)
नोडल अधिकारी (विधानसभा)

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल